बिहार सरकार,

परिवहन विभाग

आदेश

आ0सं0- 04/एस0टी0ए0-पी3-1029/ 2013 परि0................, पटना, दिनांक-...............

हाल के दिनों में यह बातें प्रकाश में आई है कि विभाग में 'कर, शुल्क', अथवा 'दण्ड शुल्क' के रूप में प्राप्त होने वाले ''मांग पत्रों'' (Demand Drafts) समय-सीमा के अन्दर बैंकों में जमा नहीं किए जाने के कारण 'काल तिरोहित' (Stale) हो गए तथा उन्हें पुनर्जीवित (Revalidate) कराने में कठिनाई हो रही है । फलस्वरूप ''मांग पत्रों'' में सन्निहित राशि विभागीय खातों (Accounts) में जमा नहीं हो सकी ।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विभाग में 'कर', (Tax) 'शुल्क', (Fee) तथा 'दण्ड शुल्क' (Penalty) के रूप में प्राप्त होने वाले ''मांग पत्रों'' (Demand Drafts) की छायाप्रति संबंधित संचिका में रख कर 'मांग पत्रों' को संबंधित बैंकों में प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर जमा कर दिया जाय। ''मांग पत्रों'' को बैंकों में जमा किए जाने के पश्चात् ही संबंधित संचिकाओं में इस बात का उल्लेख किये जाने के उपरान्त ही उपस्थापन किया जाय ।

कृपया इस आदेश का दृढ़ता से पालन किया जाय ।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 5835 पटना, दिनांक- 09/12/2015

प्रतिलिपि:- संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. परिवहन विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सभी सहायक तथा प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

3. आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना ।